न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 47/2018 **दायरा दिनांक : 12.03.2018**

उनवान

गुलाब चन्द आत्मज रामलाल, आयु 70 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी अकावदकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– शिवजी पुत्र खेमा, जाति चमार, निवासी अकावदकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– प्रताप पुत्र खेमा, जाति चमार, निवासी अकावदकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– भरोसी बाई पुत्री खेमा, जाति चमार, निवासी अकावदकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन परवन वृहद सिंचाई परियोजना) झालावाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान

5– सहाकारी बैंक शाखा सारोलाकलां, जर्ये प्रबन्धक, झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक सारोला, जिला झालावाड़

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री एन के गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 31.01.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 1068/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 258 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम अकावदकलां, तहसील खानपुर के मामले में अपीलांट/वादी का वाद बाबत घोषणा खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में विवादित मामले में दिनांक 19.12.2017 को पत्रावली तलबी शेष प्रतिवादीगण में जैरकार थी और दिनांक 19.12.2017 तारीख पेशी नियत की गई थी एवं दिनांक 09.01.2018 को रेस्पोडेंट/प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियं 11 सी पी सी प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जो कानूनी प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है । विवादित मामले में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावे के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सी पी सी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र में ऐसी कोई तथ्य अंकित नहीं किये हैं जिसके आधार पर वादी का वाद तलबी प्रतिवादीगण एवं जवाब एवं साक्ष्य के पूर्व ही दावा खारिज किया जा सके । कानूनन तलबी प्रतिवादीगण की पूर्ण होने के बाद जवाबदावा प्रस्तुत होने के बाद व तनकीयात कायम कर साक्ष्य के आधार पर ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद का निर्णय किया जाना चाहिए तलबी की स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ

न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रावधानों की ओर गौर नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रकरण सिविल न्यायालय में पेश करना चाहिए था एवं क्षेत्राधिकार के आधार पर प्रकरण राजस्व न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता है, जबकि कानूनन क्षेत्राधिकार के आधार पर दावा आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के अन्तर्गत दावा खारिज नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि दावा अपंजीकृत बेचान इकरारनामा पर आधारित होने के कारण एवं प्रस्तुत मामले में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तान्तनरण प्रतिबन्धित होने के कारण भी दावा आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज होना मान लिया, जो अवैधानिक है । यदि बेचान धारा 42 के तहत प्रतिबनित माना तो विवादित आराजी केमामले में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिये रेस्पोडेंट तहसीलदार को प्रार्थना पत्र/दावा प्रस्तुत करने का निर्देश जारी करना चाहिए था । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद का निर्णय सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के तहत ही बाद साक्ष्य ही किया जाना चाहिए था । प्रथम दृष्टया विवादित मामले में आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान किसी भी तरह लागू नहीं होते हैं । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2018 निरस्त किया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह शेष प्रतिवादीगण की तलबी करवाकर प्रतिवादीगण का जवाब लेते हुए तनकीयात कायम करे व साक्ष्य लेकर प्रकरण का पुनः निस्तारण करें ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अपीलांट का वाद अपंजीकृत बेचान इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय सम्मत व विधि मान्य है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा